अध्याय II

बकाया की वसूली

2.1 प्रस्तावना

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर प्रशासन अभिकल्पित करता है कि निर्धारिती देय शुल्क का स्व-निर्धारण करते हैं तथा शुल्क के भुगतान के पश्चात विभाग को विवरणी प्रस्तुत करते है। विभाग निर्धारितियों द्वारा भरी गई विवरणियों की संवीक्षा करता है तथा शुल्क के कम उदग्रहण/उदग्रहण न होने के किसी मामले में, राशि की वसूली के लिए मांग सहित कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करके कार्रवाई करता है। फिर एससीएन को उचित प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित किया जाता है। मूलरूप से आदेशों (ओआईओ) अथवा अन्य अपीलीय आदेशो (ओआईए), न्यायाधिकरण आदेशो तथा न्यायालय के आदेशो के आधार पर विभाग के पक्ष में मांगों के सत्यापन के कारण निर्धारिती से वसूली योग्य कोई राशि परन्तु जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान न किया गया हो, बकाया बन जाती है।

राजस्व बकाया निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ:

- अधिनिर्णय प्राधिकारी द्वारा मांगो की पुष्टि होना
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती की अपील की अस्वीकृति होना।
- पूर्व जमा की शर्त के साथ स्थगन आवेदन को अनुमति देना
- न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में आदेश।

बकाया की वसूली राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बकाया की वसूली की चर्चा करने वाले प्रमुख सांविधिक प्रावधान निम्नानुसार है:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 सेवा कर अधिकारियों को बकाया की वसूली करने तथा निर्धारिती से वसूली की मांग करने का अधिकार प्रदान करती है।

यदि देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही करने के बाद भी वसूल नहीं किया जाता, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिये जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम, 1944 की धारा 12 के अंतर्गत जारी दिनांक 4 मई 1963 की अधिसूचना संख्या 68/63-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में लागू किया गया है।

बकाया की वूसली की प्रक्रिया चूककर्ता के प्रति मांग की पुष्टि के साथ आरम्भ होती है तथा इसमें अधिकतर अपीलीय मंच सम्मिलित है जिसमें निर्धारिती के साथ-साथ विभाग भी अपील कर सकता है। बकाया की वसूली की प्रक्रिया निम्नलिखित फ्लोचार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट-2.1 बकाया की वसूली की प्रक्रिया

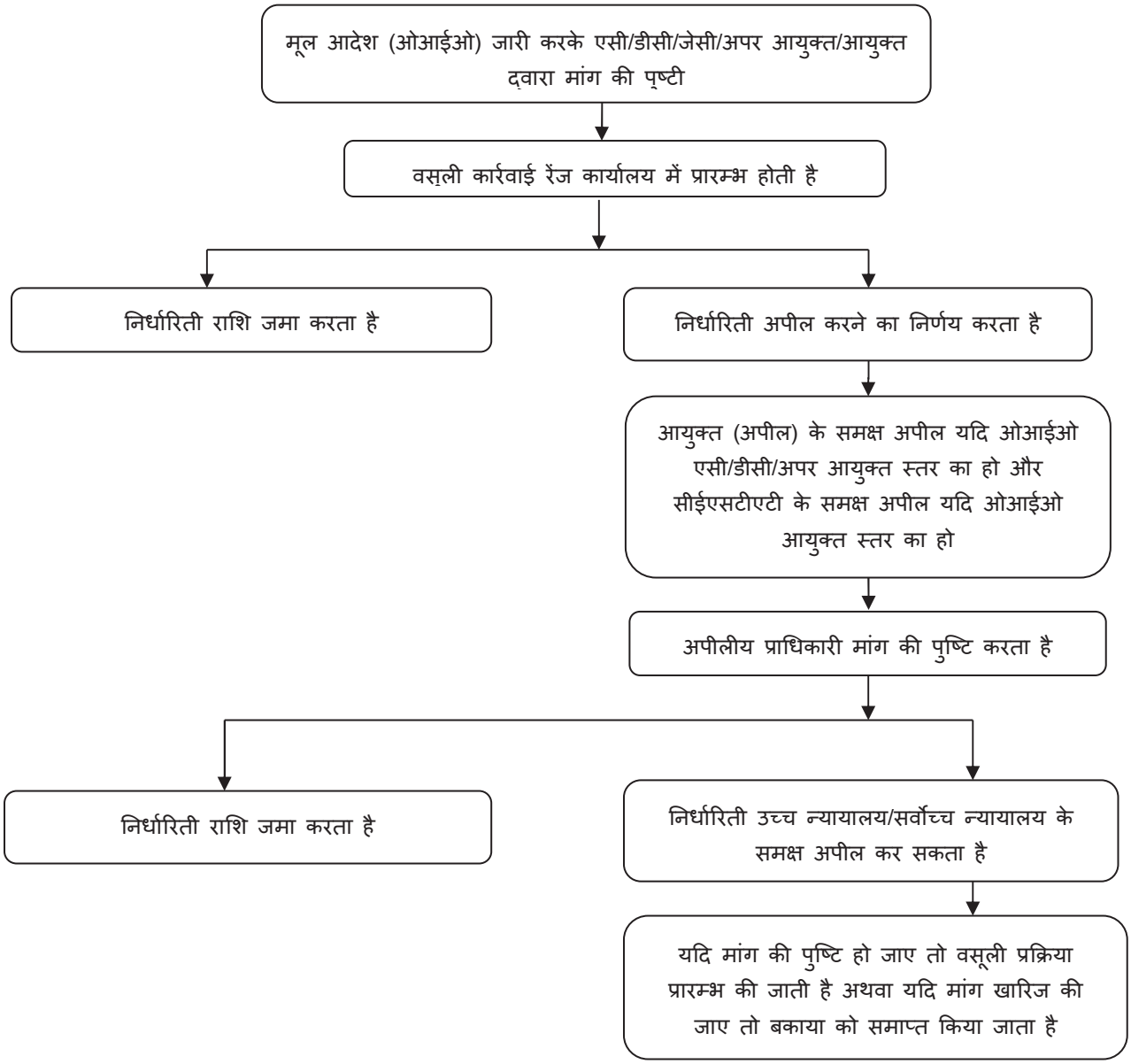

2.2 बकाया का वर्गीकरण

बकाया को दो प्रमुख वर्गों अर्थात वसूलीयोग्य तथा गैर-वसूली योग्य बकाया में बांटा गया है। रोका गया सभी बकाया गैर-वसूली योग्य होता है। वसूली योग्य बकाया को जैसा निम्नलिखित चार्ट में व्याख्या की गई है अवरूद्ध, बाधारहित तथा बट्टे खाते में डालने योग्य के रूप वर्गीकृत किया गया है:

चार्ट 2.2: वसूली योग्य बकाया का वर्गीकरण

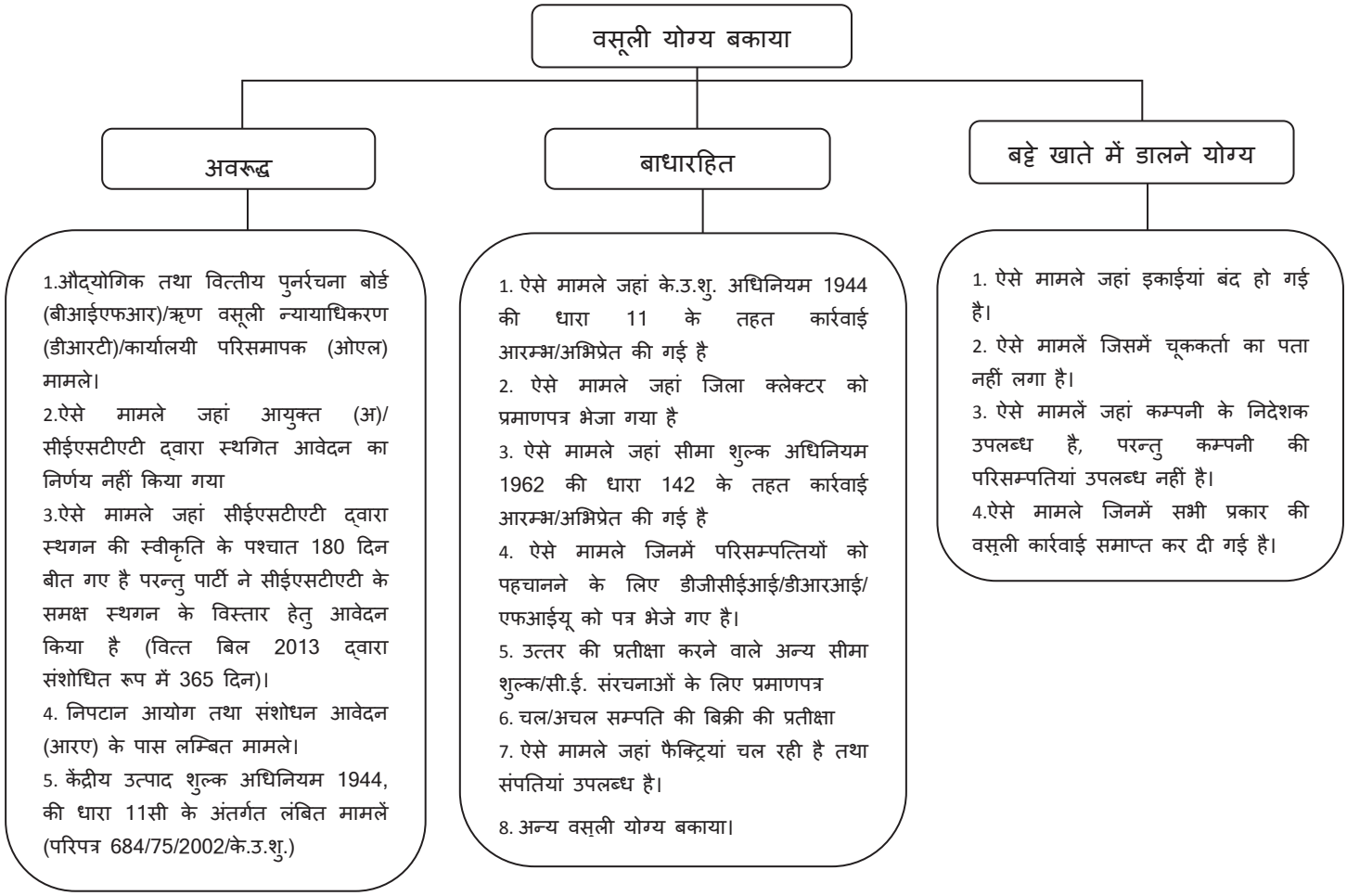

2.3 संगठनात्मक संरचना

सीबीईसी में बकाया की वसूली के संदर्भ में कार्यों को वसूली हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं तथा कार्य बल के बीच निम्नानुसार बांटा गया है:

क्षेत्रीय संरचनाएं

i. **रेंज**: रेंज सबसे नीचले स्तर की क्षेत्रीय संरचना है जिसे बकाया तथा अपीलो से संबंधित अभिलेखो का अनुरक्षण करने, वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा उच्च अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

ii. **डिविजन**: डिविजन अधिकारियों (सहायक/उप आयुक्त) को पर्यवेक्षी रेंज अधिकारी का कार्य सौंपा गया है तथा वह सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्य का निष्पादन करें।

iii. **आयुक्तालय**: बकाया की वसूली क्षेत्राधिकारी आयुक्तो का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्हें बकाया की वसूली के संदर्भ में रेंज तथा डिविजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा तथा उसे मॉनीटर करना अपेक्षित है। इसके अलावा, उन्हें स्थगन आदेशो की छूट, सीईएसटीएटी/न्यायालय मामलो की शीघ्र सुनवाई के लिए फाइलिंग, चूककर्ताओं की सम्पत्ति की जब्ती के लिए कार्रवाई करना तथा बीआईएफआर/ डीआरटी/ ओएल आदि हेतु बोर्ड में लम्बित मामलों की अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा मासिक प्रगति रिपोर्टो के माध्यम से वसूली सेल की प्रगति और निष्पादन पर नजर रखना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के कार्य करने होंगे।

iv. **वसूली सेल:** वसूली सेल क्षेत्राधिकारी आयुक्त के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। वसूली सेल के प्रमुख कार्य चूककर्तओं को नोटिस देना, सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ता की सम्पत्ति को जब्त करना तथा बिक्री करना तथा बकाया के संबंध में आयुक्तालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

वसूली हेतु कार्य बल

बोर्ड (अगस्त 2004) ने बकाया की वसूली के प्रति सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासो से समन्वय करने, सुविधाजनक बनाने, मॉनीटर करने तथा पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के लम्बित बकाया की वसूली के लिए एक केंद्रीयकृत कार्य बल का गठन किया। कार्य बल की अध्यक्षता दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, वडोदरा तथा नागपुर में छः प्रमुख अधिकारी कर बकाया वसूली (टीएआर) के साथ नई दिल्ली में स्थित प्रमुख आयुक्त टीएआर द्वारा की जाती है।

कार्य बल को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए है:

- राजस्व बकाया की कार्य सीमा की समीक्षा
- वसूली हेतु नीति का गठन तथा क्रियान्वयन।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासो की निगरानी।

दिनांक 11 अगस्त 2004 की ओएम संख्या फाइल संख्या 296/34/2004-सीएक्स 9 (पीटी) के अनुसार, जोनल प्रमुख आयुक्त अधिक राजस्व (अर्थात सीईएसटीएटी के समक्ष लम्बित ₹ एक करोड़ से अधिक बकाया) के संभावित मामलो, अपील मामलों तथा अन्य मामलो को निर्धारित करने तथा प्रधान अधिकारी को सूचना प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। प्रधान अधिकारी को ऐसे वूसली के मामलो के निपटान हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश देने तथा इसकी प्रगति को मॉनीटर करने के लिए नीति बनानी है।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विशिष्ट विषय अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का निर्धारण करने की मांग की जाती है:

- देय की वसूली से संबंधित निर्धारित नियमों तथा विनियमों के साथ-साथ विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो के अनुपालन का स्तर

- बकाया की वसूली के संदर्भ में मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता

2.5 लेखापरीक्षा कवरेज

हमने प्रमुख आयुक्त (टीएआर) के कार्यालय तथा इसके तहत सभी छः प्रमुख कार्यालयों तथा सेवा कर का निपटान करने वाले कुल 124 आयुक्तालयों में से 32 आयुक्तालयों के अभिलेखो की जांच की। 2012-13 से 2014-15 तक की समयावधि को कवर किया गया था।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने बकाया की वसूली में सम्मिलित विभिन्न चरणो अर्थात रेंज कार्यालयो को ओआईओज की सूचना, वसूली प्रक्रियाऐं आरम्भ/ देरी करने, शीघ्र सुनवाई का आवेदन करने, वसूली सेल को मामलो का स्थानांतरण तथा बकाया मामलों की स्थिति के अद्यतन में असामान्य विलम्ब के मामले पाए। हमने मामलों की स्थिति जानने के लिए तंत्र के अभाव, टीएआर में अपील रजिस्टर के साथ-साथ सुसंगत अभिलेखो/डाटा के अनुचित अनुरक्षण, जोनल टीएआर द्वारा नीति का गठन न होने, टीएआर द्वारा आयुक्तालयों का अनुचित निरीक्षण आदि भी पाया। इन अवलोकनो की चर्चा आगामी पैराग्राफो में की गई है।

2.7 बकाया की वसूली के संदर्भ में विभागीय निष्पादन

केंद्रीय उत्पाद शुल्क बकाया की वसूली के संदर्भ में वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभाग के निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के शुरूआत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष की समाप्ति तक लम्बित बकाया			
			स्थगित	अस्थगित		
				अवरूद्ध	बाधारहित	
					वसूलीयोग्य	गैर-वसूलीयोग्य
2012-13	37,005.56	3,919.88	23,537.10	20,779.97	2,997.35	3,030.18
2013-14	50,344.60	1,413.99	29,598.22	19,710.90	8,355.82	2,219.75
2014-15	59,884.69	1,615.88	35,559.35	7,200.74	7,019.18	370.05

स्रोत: निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 18.12.2015 की पत्र सी संख्या सीसी (टीएआर) 48/2015-14408 द्वारा प्रदत्त सूचना

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया 2012-13 की तुलना में 2014-15 में 62 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, बकाया की वसूली उसी अवधि में 60 प्रतिशत तक कम हुई।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि वर्ष की शुरूआत में अनियंत्रित वसूलीयोग्य बकाया की प्रतिशतता के रूप में वर्ष के दौरान वसूली जो 2013-14 के दौरान 47 प्रतिशत थी (₹ 2,997.35 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 1413.99 करोड़, 2014-15 के दौरान 19 प्रतिशत तक कम हुई (₹ 8,355.82 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 1615.88 करोड़)।

32 चयनित आयुक्तालयों जिन्होंने पिछले तीन वर्षों का पूर्ण डाटा प्रदान किया था, में से 22 आयुक्तालयों का निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है। चूंकि शेष दस[8] आयुक्तालयों द्वारा प्रस्तुत डेटा अपूर्ण है इसलिये, उपरोक्त दस आयुक्तालयों के निष्पादन के संदर्भ में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

तालिका 2.2 : पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 चयनित आयुक्तालयो का निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के शुरूआत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष की समाप्ति तक लम्बित बकाया			
			स्थगित	अस्थगित		
				अवरूद्ध	बाधारहित	
					वसूलीयोग्य	गैर-वसूलीयोग्य
2012-13	10,508.58	226.59	5,739.22	5,593.90	1,568.99	241.76
2013-14	13,535.38	244.25	7,695.33	4,812.65	2,106.69	164.90
2014-15	15,813.21	144.80	7,085.13	4,153.94	2,376.53	199.96

[8] सभी तीन वर्षों की वसूली की स्थिति दस कमिश्नरियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी (बैंगलौर III, मैंगलौर, गाजियाबाद, हापुड, जमशेदपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I, एलटीयू दिल्ली, ग्वालियर, भुवनेश्वर-I, नागपुर-II)

यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 2012-13 की तुलना में 2014-15 में 50 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, बकाया की वसूली पिछले तीन वर्षों में घटती प्रवृति दर्शा रही है।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि वर्ष की शुरूआत में अनियंत्रित वसूलीयोग्य बकाया की प्रतिशतता के रूप में वर्ष के दौरान वसूली जो 2013-14 के दौरान 16 प्रतिशत थी (₹ 1,568.99 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 244.25 करोड़) 2014-15 के दौरान सात प्रतिशत तक कम हुई (₹ 2,106.69 करोड़ की प्रतिशतता के रूप में ₹ 144.80 करोड़)।

उपलब्ध डेटा से, यह भी देखा जा सकता है कि:

- 12 कमिश्नरियों अर्थात एलटीयू चेन्नै, जयपुर राजकोट, वडोदरा-I, विशाखापटनम, रायपुर, चण्डीगढ-I, पंचकुला, कोलकाता-III, बोलपुर, गुवहाटी और पटना में वसूली 2012-13 की तुलना में 2014-15 में कम हुई। 12 कमिश्नरियों में से आठ में, बकाया की वसूली में कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी।
- चार कमिश्नरियों अर्थात चैन्नै-I, एलटीयू चेन्नै, चण्डीगढ़-I और कोलकाता-III में बकाया राशि के लंबित मामले 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गये।
- चेन्नै-I कमिश्नरी में, बकाया में 387.33 प्रतिशत वृद्धि थी।
- बैंगलौर-I, थाणे-I, राजकोट, सूरत-II, विशाखापटनम, बोलपुर और पटना कमिश्नरियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2014-15 में बकाया के लंबित मामले कम हुये।
- सात कमिश्नरियों अर्थात चेन्नै-I, एलटीयू चेन्नै, पुदुच्चेरी, सूरत-II, वड़ोदरा-I, लुधियाना और कोलकाता-III में, रूके हुये बकाया में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी।

मंत्रालय ने इसे परिचयात्मक पैरा बताते हुये कोई टिप्पणी नहीं की (दिसम्बर 2016), और इन कमिश्नरियों के निष्पादन में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

2.8 क्षेत्रीय संरचनाओं का कार्य

2.8.1 रेंज कार्यालयों को मूल आदेश की सूचना में अत्यंत विलम्ब

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के अपने परिपत्र में निर्धारित किया है कि न्यायनिर्णयन आदेशों के विवरण की सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल के अध्याय 18 भाग III में निर्धारित अनुसार स्थायी मांग रजिस्टर और वसूली हेतु की गई कार्यवाही की प्रविष्टि की जानी चाहिये। तथापि, परिपत्र में रेंज कार्यालय को ओआईओ के बारे में बताने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि 32 नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में से, 13 कमिश्नरियों में 139 ओआईओ के मामले में, रेंज कार्यालयों को ओआईओ सूचित करने के लिये लिया गया समय 01 से 227 दिनों के बीच था। निर्धारित समय सीमा न होने पर, रेंज को ओआईओ सूचित करने के लिये एक सप्ताह का समय मानकर, लेखापरीक्षा ने कमिश्नरी वार विलम्ब का विश्लेषण किया और अत्यधिक विलम्ब करने वाली कमिश्नरियों के विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: मूल आदेशों के संप्रेषण में विलम्ब

क्र.सं.	कमिश्नरी	1 माह तक का विलम्ब	1 से 3 माह तक का विलम्ब	3 माह से अधिक का विलम्ब	कुल मामले
1	सुरत-II	6	4	1	11
2	जयपुर	3	0	0	3
3	चेन्नै – I	2	1	0	3
4	एलटीयू चेन्नै	3	0	1	4
5	पुदुच्चेरी	6	0	0	6
6	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I	18	1	0	19
7	ग्वालियर	12	0	0	12
8	रायपुर	5	2	0	7
9	हैदराबाद I	12	2	0	14
10	विशाखापटनम	26	2	0	28
11	थाणे I	18	0	0	18
12	गाजियाबाद	4	1	0	5
13	हापुड़	9	0	0	9
	कुल	**124**	**13**	**2**	**139**

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

i) एलटीयू चेन्नै कमिश्नरी में, मैसर्स फोर्ड इंडिया लिमिटेड के मामले में, दिनांक 29 अगस्त 2008 का ओआईओ 20 अप्रैल 2009 को रेंज कार्यालय को दिया गया था अर्थात 227 दिन बाद।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि ओआईओ संप्रषित करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था, संप्रेषण की तिथि तकनीकी समस्या के कारण गलत रिकॉर्ड हो गई थी।

ii) सूरत-II कमिश्नरी में मैसर्स अल-फलाह एक्सपोर्ट के मामले में, दिनांक 31 जुलाई 2013 का ओआईओ 13 दिसम्बर 2013 को रेंज कार्यालय को दिया गया था अर्थात 128 दिनों के विलम्ब के बाद।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि ओआईओ देने के लिये कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी और विलम्ब की माफी हेतु अनुरोध किया गया था। यह भी कहा गया था कि भविष्य में जल्दी/समय पर रेंज कार्यालय को ओआईओ देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

शेष 137 मामलों में, मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2016) निम्नलिखित प्रकार था:

34 मामलों में, यह कहा गया था कि रेंजो को ओआईओ संप्रेषित करने हेतु कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। तथापि, भविष्य में ओआईओ समय पर देने के प्रयास किये जायेंगे।

28 मामलों में, यह कहा गया था कि विलम्ब एक माह के अंदर था और भविष्य में बिना विलम्ब, रेंजों को ओआईओ संप्रषित करने के लिये अधिनिर्णय अनुभाग को निर्देश जारी किये गये हैं।

27 मामलों में, यह कहा गया था कि विलम्ब 10 दिनों के अंदर का था और रेंजों की अलग-अलग स्थान पर होने के कारण था।

14 मामलों में, यह कहा गया कि बिना विलम्ब रेंजो को ओआईओ संप्रेषित करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

12 मामलों में, यह कहा गया कि कुछ विलम्ब अवकाश और डाक में विलम्ब के कारण अपरिहार्य हैं लेकिन भविष्य में समय पर ओआईओ डिलिवर करने के प्रयास किये जायेंगे।

सात मामलों में, यह कहा गया कि विलम्ब मुख्य रूप से संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण के कारण था।

छह मामलों में, यह कहा गया कि विलम्ब 2-27 दिनों के बीच का था और बहुत कम था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि अपील अवधि के दौरान अनिवार्य कदम उठाये जा सकते है।

तीन मामलों में, विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया था, तथापि, लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया था।

तीन मामलों में, यह कहा गया था कि ओआईओ संप्रेषित नहीं किया जा सका क्योंकि वे गलती से फाइल में पड़े रहे। तथापि, भविष्य में समय पर ओआईओ डिलिवर करने के प्रयास किये जायेंगे।

तीन मामलों में, यह कहा गया कि ओआईओ समय पर संप्रेषित कर दिये गये थे, तथापि, कुछ तकनीकी खराबी के कारण ई-रजिस्टर में संप्रेषण की गलत तिथि रिकॉर्ड हो गई थी।

एक ही लेखापरीक्षा अवलोकन के लिये मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग प्रतिक्रिया से, ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने मामले पर अंतिम विचार किये बिना क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त उत्तरों को प्रेषित कर दिया। क्षेत्रीय संरचनाओं का उत्तर कि 10-30 दिनों का विलम्ब उचित है, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सात दिनों की अवधि पर लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है। ओआईओ को उचित समय के अंदर रेंज को संप्रेषित किया जाना चाहिये अन्यथा निर्धारिति का उसका संप्रेषण लंबित होगा और परिणामस्वरूप अपील अवधि (निर्धारिति को ओआईओ के संप्रेषण से गिना) और अधिक लंबित होगी।

2.8.2 वसूली कार्यवाही आंरभ न करना/विलम्ब से करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के अंतर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के राजस्व का बकाया वसूल करने का अधिकार है।

यदि सरकारी देयता का भुगतान नहीं किया जाता, देय की वसूली हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यदि धारा 11 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही द्वारा वसूली नहीं की जाती, तो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही होगी, जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 12 के अंतर्गत जारी दिनांक 4 मई 1963 की अधिसूचना संख्या 68/63-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में लागू किया गया है। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142, विभाग को चूककर्ता की किसी भी राशि से ऐसी देय राशि काटने, चूककर्ता से संबंधित किसी भी माल को बेचने जो उचित अधिकारी के नियंत्रण के अंतर्गत हो और जब्त करने की कार्यवाही करने और ऐसे व्यक्ति से संबंधित कोई भी चल अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि 12 कमिश्नरियों के अंतर्गत 37 मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 और सीमाशुल्क अधिनियम 1962, की धारा 142 के अंतर्गत वसूली के लिये कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.87 करोड़ की वसूली नहीं हुई जैसा तालिका 2.4 में विस्तारपूर्वक दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वसूली के लिये समय पर कार्यवाही करने में विफलता

(₹ करोड़ में)

कमिश्नरी	कुल मामले	राशि	वर्ष-वार विघटन			
			पांच वर्ष से कम		पांच वर्ष से अधिक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
कोलकाता-III	4	37.75	0	0	4	37.75
गुवाहाटी	2	0.88	0	0	2	0.88
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I	8	19.56	0	0	8	19.56
बैंगलौर-I	2	1.30	1	0.24	1	1.06
बैंगलौर-III	2	1.17	0	0	2	1.17
त्रिवेन्द्रम	1	0.07	0	0	1	0.07
थाणे-I	3	16.51	1	8.91	2	7.6
गाजियाबाद	4	5.74	2	0.72	2	5.02
जमशेदपुर	1	0.59	0	0	1	0.59
पटना	8	4.35	2	0.34	6	4.01
हैदराबाद-I	1	6.76	0	0	1	6.76
भुवनेश्वर	1	1.19	0	0	1	1.19
कुल	**37**	**95.87**	**6**	**10.21**	**31**	**85.66**

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

i) कोलकाता III कमिश्नरी में मैसर्स अशोक इलैक्ट्रिकल एंड स्टैम्पिंग प्रा. लि. के प्रति ₹ 36.27 करोड़ की मांग सुनिश्चित की गई (दिसम्बर 2008)। निर्धारिति ने सीईएसटीएटी में ओआईओ के प्रति अपील की और 24 अगस्त 2012 तक का स्टे भी दिया गया था बशर्ते आठ सप्ताह की अवधि के अंदर 25 प्रतिशत का पूर्व-भुगतान किया जाये। आठ सप्ताह की अवधि 15 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो गई लेकिन निर्धारिति ने राशि जमा नहीं कराई इसलिये सीईएसटीएटी ने 15 नवम्बर 2012 को अपील खारिज की। विभाग के साथ लेखापरीक्षा के विचार-विमर्श से पता चला कि निर्धारिति ने दिनांक 15 नवम्बर 2012 के आदेश के प्रति माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल की थी और शुल्क के 25 प्रतिशत पूर्व-भुगतान के लिये चार सप्ताह (3 जून 2014) का समय दिया गया था। निर्धारिति ने राशि जमा नहीं की। विभाग ने अभी तक देय की वसूली हेतु उल्लिखित कदम नहीं उठाये थे।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिति के साथ किये गये कई पत्राचार, ''प्रेषिति चला गया है'' इस टिप्पणी के साथ वापस आ गये, तथापि, चूककर्ता का पता लगाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, कार्यवाही का

कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था, इस प्रकार की गई कार्यवाही की समयबद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

ii) दिल्ली-I केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी में मैसर्स जीको इंजीनियरिंग कम्पनी के प्रति ₹ 19.42 करोड़ की मांग सुनिश्चित की गई थी (अक्टूबर 2003)। यद्यपि निर्धारिति की संपत्ति की सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अंतर्गत कुर्की की गई थी, लेकिन उसकी अभी तक नीलामी नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि चूककर्ता की संपत्ति की 2010 में कुर्की की गई और कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी के लिये कदम उठाने के लिये और सरकारी बकाया की वसूली के लिये क्षेत्राधिकार सहायक आयुक्त को पत्र लिखा जा रहा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग छः वर्ष के बाद भी जुड़ी संपत्ति की नीलामी करने में विफल रहा और लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद नीलामी शुरू किया। स्पष्ट है कि विभाग समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए ऐसी विफलताओं हेतु उत्तरदायी संबंधित कार्मिकों की निगरानी एवं उन पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है।

iii) थाणे-I आयुक्तालय में मै. वीनस ओवरसीज़ के प्रति ₹ 8.91 करोड़ के मांग की पुष्टि की गई (सितम्बर 2011)। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सका और चूककर्ता का पता लगाने के लिए सभी सरकार एजेंसियों को पत्र भेजा गया है। हालांकि, की गई कार्रवाई का कोई भी विवरण नहीं प्रदान किया गया।

iv) हैदराबाद-I आयुक्तालय में ओआईओ सं. 2/2005-हैद-I/एड्जन दिनांक 29 नवम्बर 2005 द्वारा मै. अमर टेक्सटाईल्स के प्रति ₹ 6.76 करोड़ के मांग की पुष्टि की गई (नवम्बर 2005)। पार्टी ने 28 मई 2007 और 16

जनवरी 2008 को ₹ 2.20 लाख का भुगतान कर दिया ₹ 6.74 करोड़ शेष रह गया। विभाग द्वारा धारा 11 के अंतर्गत कोई वसूली कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि इकाई को 2003 से बन्द कर दिया गया था और बकाए की वसूली के लिए कोई भी संपत्ति उपलब्ध नहीं थी। पार्टी का पता लगाने के लिए बैंकों, डाकघर, आरटीए आदि को पत्र भेजे गए हैं।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पार्टी ने मई 2007/जनवरी 2008 में ₹ 2.20 लाख जमा कराया था जो यह दर्शाता है कि तब तक निर्धारिती उपलब्ध था और विभाग ने वसूली कार्रवाई नहीं की और मामले को ठीक से नहीं देखा।

v) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि संयंत्र एवं मशीनरी के लिए मार्च 2006 और जमीन के लिए अप्रैल 2014 में थाणे-I आयुक्तालय के तहत मै. मीरा सिल्क मिल्स के मामले में ₹ 4.57 करोड़ के बकाये की वसूली (2000 से 2009 के बीच पुष्ट) के लिए संपत्ति अधिग्रहीत की गई थी और तब से अब तक अधिग्रहीत संपत्ति की नीलामी लंबित है।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि फैक्ट्री परिसर का अधिग्रहण किया गया था लेकिन निर्धारिती के उत्तराधिकारी ने अधिग्रहण को चुनौती देते हुए मुंबई न्यायालय में याचिक (1622/2016) दायर कर दिया था। विभाग ने फिर से दिवालिया मालिक की आवासीय परिसंपत्तियों की पहचान की और इसका अधिग्रहण कर लिया गया है (26 फरवरी 2016) और धारा 142 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

इस प्रकार विभाग सात वर्षों में अधिग्रहीत संपत्ति का निपटान करने में विफल रहा और 2016 में जाकर कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा चुनौती दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आवासीय संपत्ति का अधिग्रहण भी लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद किया गया। विभाग जवाबदेही निर्धारित करने में भी विफल रहा।

vi) हापुड़ आयुक्तालय में मै. लैंसर टेलीकॉम (इंडिया) प्रा. लि. के प्रति 21 नवम्बर 2007 में ओआईओ 20/एडीसी/जीजेड्वी/07 और

15/कोम/जीजेड्वी/08 दिनांक 31 मार्च 2008 द्वारा ₹ 4.46 करोड़ की दो माँग की पुष्टि की गई (नवम्बर 2007 और मार्च 2008 के बीच)। यद्यपि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के अंतर्गत सितम्बर 2012 को दिल्ली-I केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को प्रमाणपत्र जारी किया गया था, कोई भी वसूली नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती की परिसंपत्तियों के संबंध में सूचना की मांग करते हुए विभिन्न प्राधिकरणों को पत्र लिखा गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मांग की पुष्टि के बाद आठ वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसके अतिरिक्त, कार्रवाई से संबंधित कोई भी विवरण नहीं दिया गया, इसलिए की गई कार्रवाई की समय सीमा का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

vii) थाणे-I आयुक्तालय में मै. हरिया टेक्सटाइल्स प्रोसेसर्स के प्रति 2001 में ₹ 3.03 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई थी। जबकि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत प्रमाण जारी किया गया था, कोई भी वसूली नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मालिक या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से उनके पैतृक गाँव में कोई भी संपत्ति नहीं थी और बैंक/आवासीय सोसायटी से भी किसी भी संपत्ति का पता नहीं चल पाया/हालांकि, उत्तर में विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के कारण फैक्ट्री परिसर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जिसका निपटान किया जाना चाहिए था।

viii) भुवनेश्वर आयुक्तालय में मै. सनटेक विज़न के प्रति ₹ 1.18 करोड़ की मांग की पुष्टि की गई थी (मार्च 2007)। सेसटैट, कोलकाता ने दिनांक 23 जून 2008 के अपने आदेश द्वारा निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। अपील खारिज होने के बाद विभाग को धनराशि की वसूली के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए था लेकिन 2010 में विभाग को पता चला कि इकाई को जनवरी 2010 में बंद कर दिया गया था। इस प्रकार डेढ़ वर्ष की अवधि अर्थात् जुलाई 2008 से दिसम्बर 2009 के दौरान विभाग ने बकाए की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विभाग को

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कदम उठाना चाहिए था। विभाग की लापरवाही से ₹ 1.18 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली नहीं हो पाई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि इकाई का पता नहीं चल पाया और इसे खारिज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था। लेखापरीक्षा का मानना है कि यदि बकाए की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई की गई होती तो बकाए की वसूली की संभावना हो सकती थी। विभाग लापरवाह कार्मिकों की जवाबदेही तय करने में भी विफल रहा।

ix) गाजियाबाद आयुक्तालय में मै. नार्थ इंडिया टोबैको के प्रति ₹ 56.32 लाख की मांग की पुष्टि की गई (अक्टूबर 1990) जिसके विरूद्ध निर्धारिती ने सेसटैट में अपील दाखिल कर दिया। सेसटैट ने निर्धारिती की अपील खारिज कर दिया (जुलाई 1992)। जबकि विभाग ने धारा 11 के तहत प्रमाणपत्र जारी किया था (1995)। लेकिन सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 लागू किया गया) का सहारा जनवरी 2004 में लिया गया; अर्थात्; नौ वर्षों के बाद किन्तु आज तक वसूली नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि पार्टी के खाते/संपत्ति का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा था।

विभाग का उत्तर, जो 12 वर्षों में भी कार्रवाई करने में विफल रहा, दर्शाता है कि प्रयास गंभीर और पर्याप्त नहीं हैं।

शेष 24 मामलों में मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया (दिसम्बर 2016):

12 मामलों में यह बताया गया कि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, हालांकि, की गई कार्रवाई की तिथियां/विवरण नहीं बताया गया इसलिए की गई कार्रवाई की समय सीमा का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

तीन मामलों में यह बताया गया कि निर्धारितियों का पता नहीं लगाया जा सकता था इसलिए मामले को खारिज करने पर विचार किया जा रहा था।

दो मामलों में, कार्रवाइयाँ की गई थी लेकिन कार्रवाई में कोई निरंतरता नहीं थी क्योंकि की गई कार्रवाइयों में 1 से 4 वर्षों का अंतर था।

दो मामलों में यह बताया गया कि वसूली हेतु कार्रवाईयाँ की जा रही थी, हालांकि, कार्रवाई लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाया जाने के बाद 2016 में शुरू की गई।

एक मामले में यह बताया गया कि ₹ 13.84 लाख के कुल बकाए में से ₹ 6.92 लाख की वसूली की गई थी और शेष बकाए की वसूली के प्रयास किए जा रहे थे।

एक मामले में यह बताया गया कि निर्धारिती से क्रेता का विवरण और उसके बैंक खाते का विवरण देने के लिए कहा गया था लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

लेखापरीक्षा का मानना है कि विभाग बकाए की वसूली पर उचित ध्यान नहीं दे रहा है और ऊपर के कार्यालयों द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी महत्वपूर्ण राजस्व की वसूली नहीं हो पाई। लेखापरीक्षा का यह भी मानना है कि ऐसे चूक के लिए जवाबदेही तय किये जाने की आवश्यकता है।

x) धारा 11 के अनुसार, ऐसे चूककर्ताओं से विभाग द्वारा स्वयं के पैसे से चूककर्ताओं के वसूलीयोग्य कर की कटौती की जा सकती (अर्थात् प्रतिदाय अनुमत) हैं।

दो मामलों में हमने देखा कि विभाग ने ₹ 4.98 लाख के प्रतिदाय का भुगतान किया जबकि इसके पास बकाए के प्रति ऐसा प्रतिदाय करने का उचित विकल्प था, जिसमें कोई परेशानी नहीं थी।

तालिका 2.5: बकाए के प्रति प्रतिदाय के गैर-समायोजन वाले मामले

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्धारिती का नाम	आयुक्तालय	पुष्ट मांग का बकाया	अनुमत प्रतिदाय
1	फोनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया (प्रा.) लिमि.	कोलकाता – III	6.03	4.77
2	एसोसिएटेड पिगमेंट्स	कोलकाता – III	13.72	0.21
		कुल	**19.75**	**4.98**

इसके कारण राजस्व का गैर-समायोजन तथा ₹ 4.98 लाख के गैर दावे वाला वित्तीय लाभ हुआ।

हमने इस मामले को उठाया (नवम्बर 2015)। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि फोनिक्स कन्वेयर बेल्ट इंडिया (प्रा.) लिमिटेड के मामले में निर्धारिती से तुरंत भुगतान करने हेतु पत्र भेजे गए थे। एसोसिएटेड पिगमेन्ट्स के मामले में यह बताया गया कि तथ्यों की अनदेखी के कारण ₹ 0.21 लाख की छूट दी गई थी और ₹ 13.72 लाख का राजस्व वसूलीयोग्य था और इसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी।

2.8.3 शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल न करना

सीबीईसी ने दिनांक 22 सितम्बर 2003 के परिपत्र सं. 746/62/2003-सीएक्स के माध्यम से कहा कि कमिश्नरियों को ऐसी प्रार्थना हेतु आधार को स्पष्टरूप से दर्शाते हुये, उच्च राजस्व स्टेक के साथ मामलों की जल्द सुनवाई के लिये सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और गोल्ड (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) (प्रक्रिया) नियमावली, 1982 के नियम 28सी के अनुसार विविध एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कहा कि अंतरिम स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिये, कमिश्नरियों को निदेशालय विधि विषयक मामलों के साथ प्रभावी संबंध के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से सिविल अपील/एसएलपी के संबंध में, अपील के मामलों की शीघ्र अनुवर्ती कार्यवाही हेतु और स्पष्ट रूप से आधार निर्दिष्ट करके, जल्द सुनवाई (ईएचपी) हेतु उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईएसटीएटी के समक्ष विविध याचिका दायर करके सक्रिय कदम उठाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, मुख्य कमिश्नर (टीएआर) ने दिनांक 15 जनवरी 2010 के पत्र सी संख्या सीसी/टीएआर/54/2009/3 के माध्यम से ₹ 50 लाख से अधिक (समय की परवाह किये बगैर) के राजस्व से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और शीघ्र निर्णय हेतु सीईएसटीएटी के पास जाने के लिये क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिये।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016) कि चार आयुक्तालयों में 23 मामलों में ₹ 137.81 करोड़ के राजस्व वाले मामले दो से 10 वर्षों तक से लंबित थे, फिर भी शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। आयुक्तालयवार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.6: शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आयुक्तालयों का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1	सूरत-II	8	84.64
2	वड़ोदरा-I	4	12.38
3	कोलकाता-III	2	6.60
4	हापुड़	9	34.19
	कुल	**23**	**137.81**

कुछ निदर्शी मामले निम्नलिखित हैं:

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015) कि पांच मामलों में यथा; मै. किरन सिंटेक्स लि. (इकाई I एवं II); निहित बकाया ₹ 71.53 करोड़ और सूरत II आयुक्तालय में मै. कामधेनु एक्जिम प्रा. लि., निहित बकाया ₹ 5.78 करोड़, हापुड़ आयुक्तालय में ₹ 19.02 करोड़ बकाए के साथ मै. फोर्ब्स गोकक लि. ₹ 5.74 करोड़ के बकाए के साथ मै. रैसिली उद्योग, कोलकाता III आयुक्तालय में, ₹ 5.65 करोड़ के बकाए के साथ मै. सोलेस इंजी. प्रा. लि., वड़ोदरा। आयुक्तालय में जहां जून 2011 और दिसम्बर 2014 के बीच रोक लगा दी गई थी, विभाग को दिनांक 22 सितम्बर 2003 के परिपत्र के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि एक मामले में शीघ्र सुनवाई का ओवदन दाखिल किया गया था जबकि 4 मामलों में आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

शेष 18 मामले में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार था:

दो मामलों में, शीघ्र सुनवाई का ओवदन दाखिल किया गया था जबकि 7 मामलों में आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

शेष नौ मामलों में यह बताया गया कि अदालतें/अपीलीय प्राधिकरण अपनी प्राथमिकताओं के आधार मामलों पर निर्णय देती हैं और शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर ध्यान नहीं देती हैं। पूर्व में दाखिल ऐसे दो आवेदनों पर विचार नहीं किया गया, मामले अभी भी सेसटैट में लंबित हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों में शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं।

मंत्रालय को मुद्दों की जांच करने और अनुपालन हेतु विधिक सेल द्वारा पुनरीक्षा के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित और स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि विभाग के शीघ्र सुनवाई वाले आवेदनों पर सेसटैट/ अदालतों द्वारा विचार किया जाए।

2.8.4 समान मामलों को इकट्ठा करना

सीबीईसी के दिनांक 11 अगस्त, 2004, के परिपत्र संख्या 296/34/2004-सीएक्स.9(पीटी) यह निर्धारित करता है कि क्षेत्राधिकार आयुक्त को अधिक राजस्व से जुड़े समान मामलों को एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये और प्राथमिकता पर निपटान करने के लिये न्यायाधिकरण से अनुरोध करना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि (अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तथा जुलाई 2016) कि महत्वपूर्ण राजस्व वाले समान मामलों को 17[9] आयुक्तालयों में नहीं एकत्र किया गया था और किसी भी समय अधिकरण से उन मामलों के निपटान करने का अनुरोध नहीं किया गया था। शेष 15 आयुक्तालयों से आज तक सूचना नहीं प्राप्त हुई (जुलाई 2016)।

उपरोक्त 17 आयुक्तालयों में से तीन[10] आयुक्तालयों में विस्तृत जांच से पता चला कि सात मामले जिन्हें इकट्ठा किया गया था, उसका विवरण तालिका 2.7 में है:

तालिका 2.7: इकट्ठा नहीं किये गये मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**आयुक्तालय का नाम**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1	एलटीयू चेन्नै	3	0.60
2	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-दिल्ली-I	3	19.11
3	रायपुर	1	3.81
	कुल	**7**	**23.52**

[9] पुडुचेरी, एलटीयू चेन्नई, चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II, लुधियाना, पंचकुला, गुवाहाटी, कोलकाता-III, बोलपुर, गाजियाबाद, जमशेदपुर, पटना, ग्वालियर, भावनगर, रायपुर, सूरत-II, वडोदरा-I

[10] एलटीयू चेन्नई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I, रायपुर

मामले को शीघ्र निपटाने के लिये सेसटैट से अनुरोध करने के लिये सीडीआर को समान मामलों की सूची भेजने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 23.52 करोड़ का राजस्व बकाया लंबित हुआ।

कुछ उदाहरण से स्पष्ट मामले नीचे दिये गये हैं:

i) एलटीयू चेन्नई आयुक्तालय में ''अधिसूचना सं.108/95सीई की छूट का अनुचित लाभ लेने हेतु'' तीन ओआईएज़ में मै. स्विंग स्टेटर इंडिया लि. के प्रति ₹ 53.30 लाख के मांग की पुष्टि हुई। अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा मामले पर रोक लगा दी गई, लेकिन विभाग द्वारा समान मामलों को इकट्ठा नहीं किया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामलों को एकत्र करने के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

ii) दिल्ली-I आयुक्तालय में ''अवैध रूप से सामान की निकासी'' के लिए मै. के.पी. पॉचेज़ प्रा. लि. के प्रति दो ओआईओज. में ₹ 2.78 करोड़ की मांग तथा दो ओआईओज़ में मै. सनराइज फूड प्रोडक्ट्स के प्रति ₹ 15.69 करोड़ की मांग की पुष्टि हुई। अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा मामले पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा समान मामलों को इकट्ठा नहीं किया गया।

मंत्रालय ने मै. सनराइज फूड प्रोडक्ट्स के मामले में बताया (दिसम्बर 2016) कि ये दो अलग-अलग निर्धारिती हैं, एक स्वाधिकृत फर्म है तथा दूसरी एक पंजीकृत कम्पनी है। चूँकि अपीलीय प्राधिकरण अलग-अलग हैं, मामले की बंचिंग की सिफारिश नहीं की गई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि केवल समान मामलों का ही बंचिंग किया जाना है। इसके लिए एक ही प्रकार के याचिकाकर्ता होना आवश्यक नहीं है।

मै. के.पी. पॉचेज़ प्रा. लि. के मामले में यह बताया गया कि मामलों की प्रकृति और काम करने का तरीका अलग-अलग था। हालांकि इसके सत्यापन हेतु कोई विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया।

शेष छः मामलों में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार है:

तीन मामलों में यह बताया गया कि मामलों की बंचिंग हेतु आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

एक मामले में मामले में यह बताया गया कि मामलों की प्रकृति और काम करने का तरीका अलग-अलग था। हालांकि इसके सत्यापन हेतु कोई विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया, इसलिए मंत्रालय के मतों की पुष्टि नहीं की जा सकती।

एक मामले में यह बताया गया कि यद्यपि मामले ढाँचागत वस्तुओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने से संबधित थे, लेकिन उसमें अन्य मदें भी शामिल थी इसलिए ये बंचिंग हेतु उपयुक्त नहीं थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मुख्य मुद्दा ऐसी वस्तुओं का गलत लाभ लेना है जिसकी अनुमति नहीं थी। अत: मामले बंचिंग हेतु उपयुक्त हैं। बंचिंग का मुख्य इरादा समान मुद्दों में अपील वाले मामलों का निपटान करना है।

2.8.5 गैर वसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने हेतु कार्रवाई न किया जाना

बोर्ड के परिपत्र सं. 946/2011, दिनांक 1 जून 2011 में प्रावधान है कि गैरवसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने वाले प्रस्तावों की जांच हेतु मुख्य आयुक्तों एवं आयुक्तों की एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी और बोर्ड के दिनांक 21 सितम्बर 1990 के परिपत्र की शर्तों के अनुसार यह ऐसी समाप्ति के लिए योग्य मामलों पर सिफारिश देगी तथा सक्षम प्राधिकारी को आदेश देगी। जब उप/सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में गैर-वसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने का प्रस्ताव समिति को दिया जाएगा तो समिति, समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावों की जांच करेगी तथा सक्षम प्राधिकारी इस प्रस्ताव हेतु प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप योग्य मामलों में बकाए को समाप्त करेगा।

समिति का गठन और समाप्ति की शक्ति सक्षम प्राधिकारियों को सौंपी गई थी जो इस प्रकार हैं:

तालिका 2.8: बकाए की समाप्ति का अधिकार

क्र.सं.	समिति का गठन	सक्षम प्राधिकारी	प्रयायोजित शक्तियाँ
1	मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क	सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के दो मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त (टीएआर) की समिति	(क) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत आरोपित हर्जाने और जुर्माने की गैर-वसूलीयोग्य राशि के परित्याग की पूरी शक्ति (ख) बोर्ड को रिपोर्ट देकर ₹ 15 लाख तक की सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर वसूलीयोग्य राशि को समाप्त करना।
2	उत्पाद/सीमाशुल्क आयुक्त/सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्त तथा सीसी (टीएआर) द्वारा नामित एक आयुक्त (टीएआर)	सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क और सीसी (टीएआर) द्वारा नामित एक आयुक्त	(क) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत आरोपित हर्जाने और जुर्माने की गैर-वसूलीयोग्य राशि के परित्याग की पूरी शक्ति (ख) बोर्ड को रिपोर्ट देकर ₹ 10 लाख तक की सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गैर वसूलीयोग्य राशि को समाप्त करना।

हमने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नमूना जांच किए गए 32 आयुक्तालयों में से सात आयुक्तालयों[11] में ₹ 188.35 करोड़ के राजस्व बकाया वाले 177 मामले थे जिन्हें नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 2.9: गैरवसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने की कार्रवाई न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आयुक्तालय	मामलों की संख्या	राशि
1	चंडीगढ़-II	2	4.78
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-I	44	167.64
3	गाजियाबाद	11	0.17
4	कोलकाता III	5	4.02
5	गुवाहटी	13	5.67
6	वड़ोदरा (टीएआर)	1	0.39
7	भुवनेश्वर	101	5.67
	कुल	**177**	**188.35**

उपरोक्त बकायों की वसूली की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि:

[11] चंडीगढ़-II, सीएक्स दिल्ली-I, गाजियाबाद, कोलकाता-III, गुवाहाटी, वड़ोदरा (टीएआर), भुवनेश्वर

- 80 मामलों में निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सकता था, 79 इकाइयाँ बंद हो गई थी और 14 इकाइयाँ मौजूद नहीं थी।
- उपरोक्त 177 मामलों में से 146 मामले ₹ 15 लाख से कम के थे।
- उपरोक्त 177 मामलों में से आठ मामले ₹ 1,000 से कम के थे और एक मामले में तो यह मात्र ₹ 28 था।
- उपरोक्त 177 मामलों में से 119 मामले 1968 से 2000 की अवधि से संबंधित थे।

दो निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:

i) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि भुवनेश्वर-I आयुक्तालय में ₹ 5.89 करोड़ राशि के 101 मामले थे जिनमें नौ मामले 1968 से 1978 की अवधि से संबंधित थे जिन्हें बंद नहीं किया गया था, जबकि नोडल अधिकारी टीएआर कोलकाता ने निर्देश दिया था कि ''बंद किए जाने वाले उपयुक्त मामलों में उचित कदम उठाए जाए और ऐसे मामले जहां चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता हो, उनमें बकाए की वसूली हेतु उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए डीजीसीईआई/डीआरआई को बताया जाए''। आगे यह भी देखा गया कि इकाई की मौजूदगी के बारे में न तो पूछताछ की गई थी और न ही इन मामलों को बंद करने के कोई प्रस्ताव दिए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामले को बंद करना एक कठिन प्रक्रिया है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है। आगे यह भी बताया गया कि मामले को बंद करने के प्रस्ताव पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ मामले 1968-1978 तक के थे और आवश्यक कार्रवाई अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी।

ii) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि आयुक्त(टीएआर) वड़ोदरा बोर्ड को ₹ 39.74 लाख के लिए भावनगर आयुक्तालय में मै. ए-1 प्रोडक्ट्स को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था। बोर्ड ने मुख्य आयुक्त, अहमदाबाद जोन से कुछ स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल 2007)। मामले का अब तक भी निपटान नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं दिया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि तथ्यों का सत्यापन करने के बाद मामले को बंद करने हेतु कार्रवाई की शुरू की जाएगी।

इस प्रकार विभाग स्वयं के द्वारा भेजे गए मामले को बंद करने के प्रस्ताव पर नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई सूचना प्रदान करने में विफल रहा।

शेष 75 मामलों में, मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार था:

60 मामलों में यह बताया गया कि गैरवसूलीयोग्य बकायों को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।

11 मामलों में यह बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले भेजे गए थे लेकिन सभी निर्धारित प्रावधानों को लागू करने के निर्देश के साथ इसे वापस लौटा गया था और ये अभी तक समाप्तियोग्य नहीं हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मामले 1991-2003 से मामले संबंधित थे जहां चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता था और इसलिए एक राय बनानी चाहिए कि उन्हें कब समाप्तियोग्य माना जा सकता है।

तीन मामलों में यह बताया गया कि वसूली कार्रवाई की संभावना की जांच की जा रही है।

एक मामले में यह बताया गया कि दिनांक 30 मार्च 2016 की डिवीज़न की सिफारिश 04 अप्रैल 2016 को सभी संबंधित विवरण के साथ फिर से प्रस्तुत करने हेतु वापस भेज दी गई है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कार्रवाई की गई।

2.8.6 वसूली सेल को मामले हस्तांतरित न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को उस व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति बेचने या कुर्की करने का अधिकार है, जो व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 12 जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समान मामलों पर लागू सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 42(1)(सी)(ii) बनाता है के अंतर्गत जारी दिनांक 2 सितम्बर 1997 की अधिसूचना संख्या 48/97-सीई (एनटी) के माध्यम से सरकार को देय किसी भी राशि के भुगतान में विफल हुआ हो।

यदि विभागीय प्रयासों से कोई वसूली नहीं की गई हो, मामले को वसूली सेल को हस्तांतरित किया जाना चाहिये, जिसके पास चूककर्ता की संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली हेतु कार्यवाही करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड की मांग[12] है (अक्टूबर 2000) कि 1999 और पूर्व वर्षों में जिला प्राधिकरण को पहले से संदर्भित, सभी मामले, जहां कोई भी प्रभावी कार्यवाही या प्रतिक्रिया नहीं की गई है, उनको कमिश्नरी के वसूली सेल को संदर्भित किया जाना चाहिये जहां निर्धारिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ चल/अचल संपत्ति हो सकती है ताकि दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र संख्या 365/81/97-सीएक्स के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नमूना जांच किए गए 32 आयुक्तालयों में से केवल तीन आयुक्तालयों में नामश: कोलकाता-III, बोलपुर और हैदराबाद ने 2014-15 के दौरान वसूली सेल को ₹ 437.41 करोड़ राशि वाले 234 मामले स्थानांतरित किए।

2014-15 के दौरान 23 आयुक्तालयों[13] में वसूली सेल को कोई भी मामले नहीं भेजे गए थे। 23 आयुक्तालयों में से 20 आयुक्तालयों में जिन्होंने बकाए के आंकड़े उपलब्ध कराए थे, उनमें ₹ 18,700.27 करोड़ के 15,388 मामले वसूली हेतु लंबित थे। 32 आयुक्तालयों में से छ:[14] ने वसूली सेल को स्थानांतरित मामलों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अतिरिक्त, 20 आयुक्तालयों में से वसूली सेल को स्थानांतरित मामलों के संबंध में डाटा प्रदान करने वाले तीन[15] आयुक्तालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा में यह उल्लेख था कि बकाया राजस्व शून्य था, जबकि इन आयुक्तालयों में ₹ 913.82 करोड़ के राजस्व वाले 1,235 मामले थे।

इस प्रकार, मामलों के गैर-हस्तांतरण से न केवल वसूली सेल बनाना निरर्थक हो गया बल्कि वसूलियों का ढेर लग गया और उनकी बहुत कम वसूली हुई।

---

[12] परिपत्र सं. 552/48/2000-सी दिनांक 4-10-2000 द्वारा

[13] पुडुचेरी, एलटीयू चेन्नई, चेन्नई-I, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II, लुधियाना, पंचकुला, गुवाहाटी बैंगलोर-I, बैंगलोर-III, मंगलौर, पटना, दिल्ली-I, भावनगर, जयपुर, राजकोट, सूरत-II, वडोदरा-I , विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर-I, थाणे-I, नागपुर-II

[14] गाजियाबाद, हापुड़, जमशेदपुर, ग्वालियर, रायपुर, एलटीयू दिल्ली

[15] एलटीयू चेन्नई, पुढुचेरी, पटना

29 आयुक्तालयों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर इस प्रकार था (दिसम्बर 2016):

सात मामलों में यह बताया गया कि कोई भी वसूली सेल नहीं था और डिवीज़न स्तर पर वसूली की निगरानी की जा रही है। 12 मामलों में वसूली सेल हैं लेकिन डिवीज़नों द्वारा अभी भी वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

तीन मामलों में यह बताया गया कि मामलें वसूली सेल को हस्तांतरित किए गए हैं, हालांकि, 2 मामलों में हस्तांतरित मामलों का विवरण नहीं प्रदान किया गया।

दो मामलों में, यह बताया कि वसूली सेल को भेजे जाने हेतु कोई भी मामला उपयुक्त नहीं पाया गया।

दो मामलों में, यह बताया कि वसूली सेल को स्थानांतरित किए जाने हेतु अनुदेश जारी किए गए है/प्रयास किए जा रहे हैं।

एक मामले में यह बताया गया कि वसूली सेल को मामले स्थानांतरित किए जा रहे हैं, हालांकि स्थानांतरित मामलों का कोई भी विवरण नहीं उपलब्ध कराया गया।

एक मामले में यह बताया गया कि ₹ 50 लाख से अधिक के बकाए वाले मामलों की निगरानी वसूली सेल द्वारा की जा रही है।

एक मामले में भी उत्तर वही था कि बकायों की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

एक मामले में यह बताया गया कि लेखापरीक्षा की आपत्ति को नोट कर लिया गया था।

एक मामले में यह बताया गया कि परिपत्र 368/81/97-CX, दिनांक 15 दिसम्बर 1997 में सुझाव है कि वसूली सेल को उन्हीं मामलों की भेजा जाए जहां निर्धारिती के पास कुछ चल/अचल संपत्ति हो। इसलिए वसूली सेल से अपेक्षा की जाती है कि अन्य आयुक्तालयों से परिशिष्ट-I के रूप में प्राप्त संदर्भों को देखे जिसमें इस आयुक्तालय में चल और अचल संपत्ति का

विवरण दिया गया हो। इसलिए आयुक्तालय के सभी बकाये को वसूली सेल को स्थानांतरित करना अपेक्षित नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परिपत्र 368/81/97-CX, दिनांक 15 दिसम्बर 1997 में अन्य आयुक्तालयों के वसूली सेल को मामलों को स्थानांतरित करने की कोई सीमा नहीं है। ऐसे भी मामले हैं जहां चूककर्ताओं की संपत्ति उसी आयुक्तालय में मौजूद हो सकती है और प्राधिकृत अधिकारी को तदनुसार परिशिष्ट-II जारी करनी चाहिए। इस प्रकार, आयुक्तालय को ऐसे मामलों की पहचान करनी चाहिए जहां विभागीय प्रयासों द्वारा कोई वसूली नहीं की गई हो और ऐसे सभी मामलों को उसी या अन्य आयुक्तालयों के वसूली सेल को स्थानांतरित करना चाहिए जहां चूककर्ता की कोई चल/अचल संपत्ति उपलब्ध हो।

उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि अधिकांश आयुक्तालयों में वसूली सेल हैं लेकिन ये कार्य नहीं कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के वसूली सेल के कार्यों पर अलग-अलग मत हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बिना विश्लेषण किए ही क्षेत्रीय कार्यालयों के इन भिन्न-भिन्न मतों को केवल अग्रेषित कर दिया है। पुदुच्चेरी आयुक्तालय, जिसे यह भी जानकारी नहीं है कि वसूली सेल क्या कार्य करता है, के मामले में मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालय को वसूली सेल की भूमिका स्पष्ट करने में विफल रहा। चूँकि वसूली सेल बनाने का उद्देश्य संपत्ति की नीलामी या उसे बेचकर वसूली करना है, बोर्ड वसूली सेल के प्रभावी कार्य-कलाप के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी करे और इसकी निगरानी करे।

2.9 आन्तरिक नियंत्रण

2.9.1 बकाया मामलों की स्थिति का गैर-अद्यतन

हमने देखा कि कुछ मामलों में विभाग मामलों की निगरानी नहीं कर रहा था और परिणामस्वरूप मामलों का ठीक से वर्गीकरण नहीं किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इन मामलों की समुचित निगरानी के अभाव में मामलों से ध्यान हटने का जोखिम था, यद्यपि वसूलीयोग्य मामले लंबित पड़े थे जिसके कारण बकायों की वसूली नहीं हुई।

i) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में बीआईएफआर शीर्ष के तहत मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) में मै. श्री एसिड्स एण्ड केमिकल्स के मामले में ₹ 54.92 लाख दर्शाया गया था, जबकि मामले पर 2011 द्वारा पहले ही रोक लगा दी गई थी। बीआईएफआर ने 21 दिसम्बर 2011 के अपने आदेश द्वारा सरकारी विभागों को सक्षम न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने/उसे देखने, यदि पहले ही दाखिल किए गए हों, का भी निर्देश दिया। हालांकि, विभाग ने वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं दायर किया और मामले को लगातार ''बीआईएफआर'' मामलों के तहत दर्शाता रहा।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामले को बीआईएफआर सूची से हटा दिया गया है और तदनुसार स्थिति को अद्यतित कर लिया गया है। वसूली हेतु कदम उठाया जा रहा है।

ii) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि पटना आयुक्तालय के नवम्बर 2015 के एमटीआर हेतु ₹ 28.48 लाख की राशि वाले मै. पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि. के तीन मामलों को बीआईएफआर (अवरोधित बकाये) के तहत दर्शाया जा रहा था लेकिन इन्हें निर्धारितियों के अनुरोध पर वास्तव में विपंजीकृत कर दिया गया था और वे गैर-अवरोधित बकाए थे। तदनुसार, इकाइयाँ लम्बे समय तक बीआईएफआर के अंतर्गत नहीं थी और विभाग ₹ 28.48 लाख के बकाए की वसूली हेतु कदम उठाने के लिए स्वतंत्र था लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज तक भी सभी तीन मामलों को बीआईएफआर मामलों के तहत दर्शाया गया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बीआईएफआर के तहत दर्शाए गए तीनों मामलों को विपंजीकृत कर दिया गया था। आगे यह भी बताया गया कि दो मामलों पर निर्धारिती के पक्ष में निर्णय दिया गया है और एक मामले में कुल वसूलीयोग्य राशि में से केवल ₹ 0.72 लाख शेष था और इसकी भी वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है।

iii) भुवनेश्वर आयुक्तालय में कटक और रायगढ़ डिवीज़नों में हमने देखा (जनवरी 2016) कि ₹ 12.32 करोड़ और ₹ 2.26 करोड़ वाले 21 और सात मामलों को क्रमश: एमटीआर में सेसटैट और आयुक्त (अपील) में लंबित दर्शाया गया था। हालांकि, अधिकरण में रोक वाले लंबित बकायों की स्थिति

के प्रति-सत्यापन से पता चला कि वे मामले वास्तव में सेसटैट एवं आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित थे ही नहीं। मिलान न करने के कारण इन मामलों को लंबित दर्शाया जा रहा था और वसूली रूक गई जिसके कारण ₹ 14.57 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्टों में अंतर का मिलान करने के प्रयास किए जा रहे थे।

iv) हमने देखा (जनवरी 2016) कि पटना आयुक्तालय में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क डिवीज़न पटना-I में ₹ 1.40 लाख बकाया वाले मै. राधे फोर्जिंग वाले मामले को मार्च 2015 के एमटीआर में माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील के तहत दर्शाया गया था। पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट से प्रति सत्यापन करने पर यह पाया कि 3 अगस्त 2010 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामले को रद्द कर दिया गया था। राजस्व के पक्ष में मामले के निपटान के पश्चात् मामला वसूलीयोग्य बकाए का था, लेकिन विभाग ने इस मामले को लगातार अवरूद्ध बकाए के रूप में रखा पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी बकाए की वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि निर्धारिती को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142(1)(सी)(ii) के तहत नोटिस जारी किया गया था। विभाग की ओर से जवाबदेही तय किए जाने की आवश्यकता है।

2.9.2 बढे हुए बकाया

महीने की समाप्ति पर चूककर्ता के विरूद्ध बकाए की राशि मासिक कर बकाया रिपोर्ट में दर्शाई जाती है। नमूना जांच में हमनें देखा कि टीएआर/एमटीआर का अद्यतन नहीं किया जा रहा था इसलिए बकाए की गलत स्थिति प्रदर्शित हो रही थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

i) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि त्रिवेंद्रम आयुक्तालय में मै. रेनबो रूफिंग इंडिया प्रा. लि. के संबंध में बकाया ₹ 12.71 करोड़ दर्शाया गया था जिसमें ₹ 59.90 लाख ओआईओ में ही विनियोजित कर लिया गया था (दिसम्बर 2013) और बकाया शेष राशि ₹ 12.11 करोड़ थी। हालांकि, विभाग

ने अपने टीएआर (सितम्बर 2015) में राशि को अद्यतित नहीं किया था और पूरी राशि ₹ 12.71 करोड़ का बकाया लगातार दर्शाया गया; जिसके परिणामस्वरूप ₹ 59.90 लाख़ की बकाया राशि का गलत विवरण हुआ।

ii) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में मै. सरल वायर[16] के मामले में आयुक्त (अपील) द्वारा ₹ 17.50 लाख की मांग को रद्द कर दिया गया (अक्टुबर 2012) लेकिन डिवीज़न की कर बकाया रिपोर्ट (टीएआर) (अक्टूबर 2015) में मामले को बकाए के रूप में दर्शाया जा रहा था। इसलिए ₹ 17.50 लाख का बकाया बढ़ गया।

दोनों मामलों में मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि गलत विवरण हटाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं।

2.10 निगरानी

2.10.1 निर्धारितियों की गतिविधियों का पता न लगाना

बोर्ड के परिपत्र सं. 224/37/2005-CX-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 में यह प्रावधान है कि क्षेत्रीय निरीक्षकों को ऐसे निर्धारितियों द्वारा संचालन के हस्तांतरण या समिति से संबंधित किसी भी प्रगति के बारे में साथ-साथ अवगत रहना होगा जिनके विरूद्ध राजस्व बकाया हो तथा रेंज अधिकारियों को इस बारे में बताना होगा।

हमने देखा कि उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ निर्देशी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

i) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि ₹ 65.30 लाख, ₹ 4.46 करोड़ तथा ₹ 39.55 लाख के क्रमश: तीन मामलों में यथा; मै. भगवती इंपेक्स, मै. लैंसर टेलीकॉम (इंडिया) और मै. एल.बी. इलेक्ट्रॉनिक्स को गाजियाबाद आयुक्तालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन निर्धारितियों ने क्रमश: अक्टूबर 2004, जुलाई 2006 और जनवरी 2009 से विवरणी दाखिल करना बंद कर दिया था। लेकिन विभाग ने गतिविधियों पर रखने के लिए परिसर का

[16] ओआईओ संख्या 132(42/11, 59/11, 88/11, 111/11, एवं 37/12) AC /HLD /2012 दिनांक: 16.08.2012 (मांग: ₹ 35 लाख)

दौरा नहीं किया। उस अवधि के दौरान निर्धारितियों ने अपने परिसर बेच दिये और लापता हो गए।

मंत्रालय ने आपत्ति मान ली (दिसम्बर 2016) और बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत कराया गया है और नियमित आधार पर निर्धारितियों की निगरानी के निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि उत्तर में यह उल्लेख नहीं था कि चूककर्ता कार्मिकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई अथवा नहीं।

ii) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि मई 2010 में हापुड़ आयुक्तालय में मै. दुधेश्वर स्टील्स एण्ड एलॉय प्रा. लि. के प्रति ₹ 52.28 लाख की मांग की पुष्टि की गई। विभागीय अधिकारी ने परिसर का दौरा किया (नवम्बर 2013) और पाया कि वहां केवल क्षतिग्रस्त चहारदीवारी थी और स्थल पर कोई संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध नहीं थे। शीघ्र कार्रवाई जैसे कि तत्काल स्थल का दौरा करने से वसूली की संभावना बढ़ सकती थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि इकाई की परिसंपत्तियों पर केनरा बैंक द्वारा कब्जा कर लिया गया था और बैंक ने बताया कि इसने बकाए की वसूली हेतु ऋण वसूली (डीआरटी) अधिकरण का रूख किया था। विभाग ने 10 अक्टूबर 2016 को डीआरटी के पास अपना दावा भी दाखिल कर दिया। इस प्रकार विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही कदम उठाया। यद्यपि मंत्रालय ने विफलता स्वीकार कर लिया, लेकिन यह जवाबदेही तय करने में विफल रहा।

2.10.2 मामलों की स्थिति का अद्यतन

लेखापरीक्षा ने देखा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वसूली मामलों की स्थिति जानने का कोई तंत्र नहीं है। अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में विभाग ने मामले की स्वयं निगरानी करने की बजाए सेसटैट में लंबित मामलों की स्थिति बताने के लिए निर्धारितियों से अनुरोध किया। कुछ घटनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

i) एलटीयू चेन्नई आयुक्तालय में मै. सेंट गोबियन ग्लास इंडिया लि. के प्रति ₹ 1.52 करोड़ और इतने ही जुर्माने की पुष्टि की गई

(मार्च 2011)। आयुक्तालय के अभिलेखों से हमने देखा कि उन्होंने निर्धारिती से यह बताने का अनुरोध किया था (अप्रैल 2013) कि क्या मामले पर रोक लगाई गई थी, जबकि उन्हें स्वयं मामले की निगरानी करनी चाहिए थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि मामलों की स्थिति सेसटैट की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसका सत्यापन किया जा रहा है। लेखापरीक्षा आपत्तियों को भी आगामी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

ii) पुदुच्चेरी आयुक्तालय में मै. नेक्सस इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, इकाई-I के प्रति ₹ 19.17 लाख की मांग की पुष्टि की गई (अप्रैल 2009)। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रेंज अधिकारी ने निर्धारिती से मामले की ''वर्तमान स्थिति'' बताने का अनुरोध किया था (30 जून 2011)।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि यह एकमात्र ऐसा मामला था जहां मामले की स्थिति के बारे में निर्धारिती से पूंछा गया था और इसे सेसटैट की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता था।

iii) हापुड़ आयुक्तालय में मै. जिंदल पाइप्स के प्रति ₹ 4.89 करोड़ के मांग की पुष्टि की गई (अक्टूबर 2009)। निर्धारिती ने सेसटैट में अपील कर दिया (फरवरी 2010) और उसे स्टे मिल गया (अगस्त 2010)। रेंज अधिकारी ने निर्धारिती से मामले की वर्तमान स्थिति बताने के लिए 29 दिसम्बर 2014 और 23 दिसम्बर 2015 को निर्धारिती को पत्र लिखे।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नोट कर लिया गया है और बकाए से संबंधित अभिलेखों को अद्यतित कर दिया गया था लेकिन मंत्रालय ऐसे ढीले रवैये के लिए जवाबदेही तय करने में विफल रहा जिससे करदाताओं की नजरों में विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में गलत प्रभाव पड़ा।

2.10.3 बकायों की वसूली की निगरानी हेतु विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग

यद्यपि वसूलियों की स्थितियाँ कर बकाया रिपोर्टों में दर्शाई गई हैं, बकाया संकलन और निगरानी हेतु कोई विशेष सॉफ्टवेयर/माड्यूल नहीं है। बकायों की वसूली हेतु विभाग में आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम का प्रयोग एक प्रभावी तंत्र बन सकता है। प्रणाली की पर्याप्तता, एप्लेकेशन एवं प्रक्रियागत नियंत्रण, प्रबंधन हेतु एमआईएस रिपोर्टों की उपलब्धता और सूचना का साझाकरण ऐसी आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम के अभाव में सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

लेखापरीयक्षा ने देखा कि 15 आयुक्तालयों में ऐसा कोई कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम अथवा प्रणाली नहीं है जिससे बकाया राजस्वों की स्थिति, निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन इत्यादि की निगरानी; विभाग द्वारा दक्ष एवं प्रभावी तरीके से बकायों की वसूली सुनिश्चित किया जा सके। शेष 17 आयुक्तालयों से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आईटी सक्षम प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप वसूली प्रक्रिया की खराब मॉनिटरिंग हुई।

हमने इस बारे में जनवरी तथा मार्च 2016 के बीच बताया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि विभाग कर बकाया की वसूली की मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक आईटी सक्षम प्रणालियों का अनुरक्षण कर रहा है। सीबीईसी ने एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की है ताकि कर बकाया की वसूली सहित मुख्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना विश्वसनीय, कुशल तथा उपयोगी तरीके से एकत्र की जा सके। एमआईएस को दो चरणों में कार्यान्वयन के लिए डिजाईन किया गया है। चरण 1 में जून 2015 से प्रचालित क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्टों की अपलोडिंग के लिए वैब आधारित उपयोगिता शामिल की गई है। चरण 2 में हस्त्य रूप से तैयार किए गए रजिस्टरों, जिनसे एमपीआर तैयार करने के लिए सूचना ली जाती है,

को डिजिटल रजिस्टरों से प्रतिस्थापित किया जाना है। दूसरे चरण के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

यह आशा की जाती है कि डिजिटलीकरण से बकाया वसूली की मॉनिटरिंग में सुधार आएगा।

2.10.4 अपील रजिस्टर का रख-रखाव न करना

बोर्ड परिपत्र सं. 224/37/2005-सीएक्स-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 में विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए थे, जैसाकि निर्धारिती द्वारा दायर की गई अपील पर ड्राफ्ट पैरा-वार टिप्पणियां तैयार करना तथा विधिक फोरम के पास लंबित मामलों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए अभिलेखों की मासिक समीक्षा के माध्यम से रजिस्टर का नियमित रूप से अनुरक्षण करना।

हमने पाया (अक्तूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नौ कमिश्नरियों[17] के अधिकार क्षेत्र मे आने वाले 49 रेंजों में अपील रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय ने यह बताया (दिसम्बर 2016):

सात रेंजों के मामले में यह बताया गया कि क्षेत्रीय सरंचनाओं द्वारा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

10 रेजों के मामले मे यह बताया गया कि अब अपील रजिस्टरों का रख-रखाव किया जा रहा है।

23 रेंजों के मामले में यह बताया गया कि अपील रजिस्टरों के रख-रखाव के लिए अनुदेश जारी किए गए है।

नौ रेंजों के मामले में यह बताया गया कि अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा बिंदु को नोट कर लिया गया था।

---

[17] त्रिवेंद्रम, कोलकाता-III, गुवाहटी, हैदराबाद, विशाखापट्नम, ग्वालियर, रायपुर, भावनगर, जयपुर

2.10.5 जब्त माल के अभिलेख का रख-रखाव न करना

हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ कमिश्नरी मे मैसर्स श्री एसिड्स एण्ड कैमिकल्स लि.[18] के ₹ 45.87 लाख मूल्य के माल को अक्तूबर 2015 माह की कर बकाया रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने जब्त कर लिया था। हालांकि, विभाग जब्त किए गए माल के कोई ब्यौरे या ठिकाना प्रस्तुत किरने में असमर्थ रहा।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि विभाग ने ₹ 45.87 लाख मूल्य का माल जब्त किया था। इसी बीच, निर्धारिती बीआईएफआर में चला गया तथा कम्पनी को एआरएसईसी (।) लि. ने टेक ओवर कर किया था जिसने कम्पनी की परिसम्पतियों की निलामी की थी। श्री डी के त्यागी, जिन्होने परिसम्पत्तियां खरीदी थी, ने सूचना दी कि फैक्ट्री में कोई उत्पाद शुल्क योग्य माल नहीं पड़ा था। स्पष्टतया जब्त माल का विभाग की सील हटाने के बाद निपटान कर दिया गया था। श्री त्यागी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए राय मांगी गई है।

अत: जब्त माल का समय पर निपटान न करने के कारण जब्त माल की हानि हुई तथा किसी राशि की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा का मत है कि श्री त्यागी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय जब्त माल का समय पर निपटान न करने के लिए अपने स्वयं के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है।

2.10.6 मांग रजिस्टरों की समीक्षा न करना

सीबीईसी के अनुदेश सं. 224/37/2005-सीएक्स-6, दिनांक 24 दिसम्बर 2008 का पैरा 7.1 निश्चित रूप से बनाए गए मांग रजिस्टर के रख-रखाव के संबंध में रेंज अधिकारी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। रेंज अधिकारी को निश्चित मांग के संबंध में रजिस्टर में प्रविष्टि की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा प्रत्येक माह समीक्षा करनी चाहिए और रजिस्टर में मासिक सारांश तैयार करते समय इस पर प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए।

---

[18] ओआईओ सं. 09 जनवरी 2004 से 28 फरवरी 2005 के दौरान जारी किए गए 25 विभिन्न ओआईओज की क्लबिंग (मांग: ₹ 54.93 लाख)

हमने पाया (नवम्बर 2015 से फरवरी 2016) कि पाँच[19] कमिश्नरियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 31 रेंजों में न तो रेंज अधिकारी ने मासिक समीक्षा की थी और न ही मासिक सारांश तैयार करने के बाद रजिस्टरों में इसके प्रभाव पर प्रमाणपत्र जारी किया था। मांग रजिस्टर की समीक्षा न करने के परिणामस्वरूप अप्रभावी मॉनीटरिंग हुई जिससे बकाया संग्रहण के जोखिम में वृद्धि हुई और यह अवसूलीयोग्य बन गए।

हमने इस बारे में बताया (जनवरी तथा मार्च 2016 के बीच)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2016) कि छ: रेंजों में मासिक समीक्षा की जा रही थी किंतु उक्त को रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया जा रहा था। शेष सभी रेजों को मासिक रूप से रजिस्टर की समीक्षा करने तथा उसको उचित रूप से दर्ज करने के लिए अनुदेश जारी कर दिया गए है।

2.11 वसूली हेतु कार्यबल की कार्यप्रणाली

2.11.1 क्षेत्रीय टीएआर द्वारा नीति तैयार न करना

बोर्ड ने बकायों की वसूली में सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के समन्वय, सुविधा, मॉनिटर तथा निगरानी के लिए केंद्रीकृत कार्यबल (सीटीएफ) का गठन (अगस्त 2004) किया था। सीटीएफ को लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के राजस्व के बकाया की स्थिति की समीक्षा करने तथा बकाया की वसूली नीति को अंतिम रूप देने तथा इसे कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। इस नीति में सेसटेट, कमिश्नर (अपील) तथा समझौता आयोग के सभी मामलों को कवर किया गया है। इसके अलावा कमिश्नर के अविवादित बकाया के संबंध में सीटीएफ को संग्रहण नीति बनानी थी।

हमने पाया कि यद्यपि कार्यबल को बकाया की वसूली के लिए नीतियों को अंतिम रूप देने तथा कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया था फिर भी इसने बकाया की वसूली के लिए ऐसी कोई कार्यवाई नहीं की थी। इसे इस तथ्य के साथ जोड़ा जाए कि स्थगन के लिए अनिश्चित समय सीमा के कारण सेसटेट

[19] हैदराबाद I, विशाखापटनम, ग्वालियर, रायपुर, जयपुर

में काफी बकाया लंबित था, जबकि सीटीएफ ने किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया था तथा इस संदर्भ में निर्देश जारी नहीं किए थे। मार्च 2015 तक ₹ 63,925.42 करोड़[20] के कुल बकाया (सभी क्षेत्रों में) में से ₹ 44,747.82 करोड़, ₹ 1,485.15 करोड़ और ₹ 77.07 करोड़ के बकाया के मामले क्रमश: सेसटेट, कमिश्नर (अपील) तथा समझौता आयोग के पास लंबित थे जो वसूली हेतु कुल बकाया का 72.44 प्रतिशत बनता है।

इससे बढ़कर राजस्व के बकाया में वृद्धि का रूझान है तथा वसूली में कमी आ रही है जैसाकि पैरा 2.7.1 में दर्शाया गया था।

जब हमने इसे बारे में बताया (जनवरी 2016) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि टीएआर द्वारा नीतियां तैयार कर ली गई है जिसमे कई पहले शामिल है तथा उक्त का कमिश्नरी द्वारा पालन तथा टीएआर द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। विधिक सत्वों के समक्ष मामलों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि यह स्वतंत्र सत्व है तथा विभागीय अनुदेश इनकी अवहेलना नहीं कर सकते।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने विधिक सत्वों को निर्देश देने पर बल नहीं दिया अपितु जल्दी सुनवाई, स्थगन के वेकेशन हेतु अनुरोध द्वारा विधिक सत्वों के साथ मामलों का अनुसरण करने की नीति बनाई है जैसाकि टीएआर कार्यों में परिकल्पित है।

2.11.2 टीएआर में संबंधित अभिलेखों/डाटा का रख-रखाव न करना

संबंधित डाटा का रख-रखाव, कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से करने के लिए रणनीति तथा कार्य योजना बनाने का आधार होता है। ओएम, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार क्षेत्रीय टीएआरज से इसके कार्यों के संपादन हेतु इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली क्षेत्रीय संरचनाओं के बकाया से संबंधित डाटा का रख-रखाव करना अपेक्षित है।

हमने देखा कि टीएआर नागपुर में, कार्यालय की पुन: संरचना तथा शिफ्टिंग के कारण सूचना का समेकन नहीं किया जा सका था।

---

[20] स्रोत: मासिक निष्पादन रिपोर्ट, टीएआर-सीई-I, मार्च 2015

विभाग ने टीएआर चेन्नई तथा वड़ोदरा के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की थी।

चूंकि डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था, अत: लेखापरीक्षा इन टीएआर की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी नहीं कर सकी थी।

हमने इस बारे में फरवरी 2016 में बताया था। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि टीएआर की पुन: संरचना अगस्त 2015 में की गई है जिसमें सीसी (टीएआर) का उत्तरदायित्व महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को सौंपा गया तथा क्षेत्रीय नोडल कार्यालयों को महानिदेशक करदाता सेवा (डीजीटीपीएस) के अधीन रखा गया था। यह अंतरण लेखापरीक्षा के समय हुआ था जिसके कारण लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन परिवर्तन/अंतरण के समय विभाग की कार्यप्रणाली में बाधा नहीं आई थी।

2.11.3 टीएआर द्वारा कमिश्नरियों की गैर/अपर्याप्त निरीक्षण

ओएम सं. एफ सं. 296/34/2004-सीएक्स 9 (पीटी), दिनांक 11 अगस्त 2004 सभी कमिश्नरियों में आरंभिक जांच द्वारा तथा इसके पश्चात क्षेत्राधिकारी अधिकारियों के साथ आवधिक जांच/अन्योन्य क्रिया द्वारा कमिश्नरियों के निष्पादन की नमूना जांच का प्रावधान करता है।

हमने पाया (नवम्बर 2015) कि नोडल कार्यालय कोलकाता ने 2013-14 के दौरान कोई जांच नहीं की गई तथा 2014-15 में इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 19 कमिश्नरियों में से केवल तीन कमिश्नरियों की जांच की गई थी।

अत: टीएआर कोलकाता के नोडल अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कमिश्नरियों की जांच के लिए बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया था।

विभाग ने टीएआर चेन्नई तथा वडोदरा से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की थी, अत: हम चेन्नई तथा वडोदरा के टीएआर की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2016) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि नोडल अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकी थी क्योंकि टीएआर की पुन: संरचना/अंतरण के कारण स्टाफ की कमी थी।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह आपत्ति 2012-13 से 2014-15 की अवधि से संबंधित थी तथा पुन: संरचना अगस्त 2015 में हुई थी। इसके अलावा बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन में परिवर्तन/अंतरण के समय पर विभाग की कार्यप्रणाली में बाधा नहीं आई थी।

2.12 निष्कर्ष

बकाया की वसूली को बढ़ते हुए बकाया के बावजूद उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। बकाया की मॉनिटरिंग, प्रभावी उपाय करना जैसे शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध, मामलों को इकट्ठा करना और अपीलों को अंतिम रूप देने हेतु तुरंत कार्रवाई करना या सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु स्थगन को निष्प्रभावी करने के संबंध में बोर्ड के विस्तृत अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। विशेष संस्थानिक व्यवस्था, जैसे वसूली सैल और कार्यबल का गठन, के वसूली प्रक्रिया पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला है। डिजिटल परिवेश के समय, बोर्ड बकाया की मॉनिटरिंग के लिए आईटी की क्षमता का लाभ उठाने मे विफल रहा। बताए जाने के बावजूद विशिष्ट मामलों में कोई जवाबदेही निश्चित नहीं की जा रही है जो निवारक के रूप में काम कर सकती है।